- : प्रेस नोट : -

थाना-दमुआ , जिला-छिन्दवाड़ा

दिनांक 22.10.2023

"थाना दमुआ द्वारा 12 घंटे में अंधेकत्ल का पर्दाफाश "

घटना का संक्षिप्त विवरण:- थाना दमुआ क्षेत्र के ग्राम तानसी रामपुर से दिनांक 20.10.23 को शाम करीब 05.30 बजे दीपक यादव पिता हीरामन यादव उम्र 17 वर्ष का घर से हनुमान मंदिर प्रोग्राम देखने अपने साथ अपने दोस्त श्याम कायदा का मोबाईल नंबर 9691815738 साथ लेकर गया था जो घर वापस नही आया एवं दिनांक 20.10.2023 के 19.43 बजे दीपक यादव के पिता हीरामन यादव के पास दीपक यादव के पास श्याम कायदा के मोबाईल नंबर 9691815738 से ही फिरौती के लिए 20,000 लाख रूपये की मांग करने एवं थाना में रिपोर्ट करने पर दीपक यादव को जान से मारने की धमकी वाले मैसेज व्हाट्सअप पर प्राप्त हुए। फरियादी हीरामन यादव द्वारा दिनांक 22.10.2023 को उसका लड़का दीपक यादव की गुमशुदगी दर्ज करायी गयी तथा संदेह वयक्त किया गया कि उसे किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा डरा धमकाकर लालच देकर दीपक यादव का अपहरण कर लिया गया है फरियादी की रिपोर्ट पर थाना दमुआ में अपराध क्रमांक 283/23 धारा 363 ताहि एवं गुम इंसान क्रमांक 78/23 कायम कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की कायमी की सूचना वरिष्ठ अधिकारियो को भेजी गयी। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय एवं श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक महोदय कि दिशा निर्देश के अनुसार श्रीमान एसडीओपी महोदय के मार्गदर्शन में प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी थाना दमुआ के नेतृत्व में अलग-अलग टीम बनायी जाकर अपहर्त बालक दीपक यादव की पता तलाश में लगायी गयी।

विवेचना के दौरान की गयी कार्यवाही:- दौराने पता तलाश के संदेहियो एवं हीरामन यादव को आ रहे व्हाट्सअप मैसेज के मोबाईल नंबर के सायबर सेल से जानकारी लेकर संदिग्धों दीपक मालवीय एवं इरफान खान को तलाश कर पूछताछ की गयी जिसमें इरफान खान ने पूछताछ में बताया कि मृतक दीपक यादव उसकी बहन को लेकर उल्टे सीधे कमेंट्स करता था इसी बात से छुब्ध होकर इरफान खान नें दिनांक 20.10.2023 को शराब पिलायी एवं घूमने चलना है कहकर खुटिया पहाड़ी तानसी के जंगल में लेकर गया एवं वहां उसी बात को लेकर फिर दोने में विवाद हुआ तो इरफान खान द्वारा पत्थर से दीपक यादव को सिर में मार कर हत्या कर दी तथा वही पास में नाले के गड्डे में दीपक की लाश को रखकर पत्थर ढक कर छुपा दी गयी थी। इरफान खान के द्वारा हत्या को छुपाने की गरज से मृतक दीपक

यादव के पिता हीरामन यादव को गुमराह करने के लिए अपने दोस्त दीपक मालवीय का सहयोग लेकर हीरामन यादव को व्हाट्सअप पर फिरौती के लिए मैसेज भेजे गये। उक्त दोनो आरोपियो के द्वारा जुर्म कबूल करने पर विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार आरोपीः- 1. दीपक मालवीय पिता शिवलाल मालवीय उम्र 19 वर्ष निवासी ट्रिपल स्टोरी तानसी रामपुर थाना दमुआ जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.)।

2. नाबालिग - 01

पुलिस टीमः-

एस.डी.ओ.पी. महोदय जुन्नारदेव श्री के.के.अवस्थी, थाना प्रभारी कोमल सिह रघुवंशी, सउनि मंगलेश्वर सिह परिहार, प्र.आर. 412 महेन्द्र कुमार, आरक्षक 986 अनिल त्रिपाठी, आरक्षक 732 सागर डेहरिया, आरक्षक 868 हितेन्द्र रघुवंशी, आरक्षक 15 सुरजीत मरकाम, आरक्षक 946 संतोष पटले, आरक्षक 686 विक्रम सिह बघेल, सायबर सेल आरक्षक 542 आदित्य रघुवंशी, आरक्षक 511 नितिन बघेल द्वारा उक्त अंधे कत्ल का 12 घंटे के अंदर पर्दाफाश करने एवं आरोपियो को गिरफ्तार करने में सराहनीय भूमिका रही।